दैनिक जागरण

11.5.2018

सहयोग को तैयार, पर कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं : रेरा

राज्य ब्यूरो, पटना : रीयल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के चेयरमैन अफजल अमानुल्लाह के समक्ष गुरुवार को बिहार बिल्डर एसोसिएशन ने तीखे सवालों की झड़ी लगा दी। रेरा की ओर से दिए गए नोटिस पर भी बिल्डरों ने तमाम सवाल खड़े किए। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में आयोजित कार्यशाला में बिल्डरों के सवाल पर रेरा चेयरमैन अफजल अमानुल्लाह ने उन्हें खरी-खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि रेरा बिहार में रीयल इस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने में हरसंभव सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन कायदा-कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्डर एसोसिएशन ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू कराने और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधा शीघ्र दुरुस्त कराने का दबाव बनाया। बिल्डरों की शिकायत थी कि कार्रवाई से पहले परेशानियों पर रेरा विचार करे। रेरा के सामने संकट यह है कि

एक ओर जनता जहां कानून लचर होने की तोहमत लगा रही है वहीं बिल्डर भी इससे परेशानी महसूस कर रहे हैं। यह बात दीगर है कि अभी तक जहां 355 बिल्डरों ने रेरा में ऑनलाइन आवेदन किया है। इनमें महज 20 बिल्डरों के आवेदन ही रेरा के कानून की कसौटी पर खरे उतर पाए हैं। इसी बीच बगैर रजिस्ट्रेशन कराए परियोजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के मामले में रेरा 60 से अधिक बिल्डरों से जवाब तलब कर चुका है।